एक्वाडक्ट से बीसलपुर व ईसरदा बाँध तक लिफ्ट से पानी लाया जा सकेगा: भजनलाल

चंबल नदी पर एक्वाडक्ट निर्माण के लिये मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक ने स्वीकृति जारी की

जयपुर, 27 मई। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार महत्वाकांक्षी संशोधित पार्वती-कालीसिंध-चम्बल लिंक परियोजना (राम जल सेतु लिंक परियोजना) को धरातल पर लागू करने के लिए प्रतिबद्ध होकर कार्य कर रही है। इसी क्रम में परियोजना के प्रथम चरण में चम्बल नदी पर एक्वाडक्ट निर्माण के लिए राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड (एनबीडब्ल्यूएल) की स्वीकृति के बाद, मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक ने अन्तिम स्वीकृति प्रदान कर दी है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि इस एक्वाडक्ट के माध्यम से रामगढ़ (कूल नदी), महलपुर (पार्वती नदी) व नवनेरा (कालीसिंध नदी) बैराज का पानी चम्बल नदी को पार करके मेज बैराज में डाला जाएगा तथा बीसलपुर और ईसरदा बांध तक लिफ्ट के माध्यम से ले जाया जा सकेगा। 2280 मीटर लम्बाई के इस एक्वाडक्ट का एक छोर कोटा के पीपल्दासमेल गांव और दूसरा छोर बून्दी के गुहाटा गांव से जुड़ेगा। इससे कोटा की सुल्तानपुर तहसील के लोगों को बून्दी से गुजर रहे कोटा-सवाईमाधोपुर हाईवे से पक्की सडक द्वारा एक अतिरिक्त मार्ग उपलब्ध होगा। साथ ही, परियोजना में नवनेरा बैराज से मेज एनिकट तक फीडर निर्माण की कार्यवाही को गति मिलेगी।

- **कुल 2280 मीटर लंबाई के इस एक्वाडक्ट का एक छोर कोटा के पीपल्दासमेल गाँव तथा दूसरा छोर बूंदी के गुहारा गाँव से जुड़ेगा।**
- **कोटा की सुल्तानपुर तहसील के लोगों को बूंदी से गुज़र रहे कोटा-सवाई माधोपुर हाईवे से पक्की सड़क का एक अतिरिक्त मार्ग उपलब्ध होगा।**

उल्लेखनीय है कि प्रदेश के 17 जिलों को पेयजल एवं सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराने वाली इस परियोजना के प्रथम चरण के अंतर्गत, 9400 करोड़ रुपये के कार्यादेश जारी कर योजना की क्रियान्विति शुरू कर दी गई है। इस चरण में पैकेज-2 के अन्तर्गत, चम्बल नदी पर एक्वाडक्ट का निर्माण किया जा रहा है।

फिलिपीन्स में भूकंप के झटके

मनीला, 27 मई। फिलीपींस के क्यूज़ोन प्रांत में मंगलवार को मध्यम स्तर के भूकंप के झटके महसूस किये गये। फिलीपींस ज्वालामुखी एवं भूकंप विज्ञान संस्थान के मुताबिक स्थानीय समयानुसार दोपहर 12:17 बजे आये भूकंप की तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 5.1 मापी गयी। भूकंप का केंद्र क्यूज़ोन प्रांत के जनरल नाकर से लगभग 24 किलोमीटर उत्तर-पश्चिम में छह किलोमीटर की गहराई में था। भूकंप के झटके फिलीपींस की राजधानी मनीला में भी महसूस किए गये।

- **रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 5.1 मानी गई। भूकंप का केन्द्र क्यूज़ोन प्रांत था।**

प्रथम प्र.मंत्री ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

देश को निरंतर विविधता में एकता का संदेश देने वाले हमारे प्रेरणास्त्रोत, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की पुण्यतिथि पर विनम्र श्रद्धांजलि।

राहुल गांधी ने कहा भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की पुण्यतिथि पर उन्हें सादर नमन। सशक्त और समावेशी भारत का सपना लिए नेहरू जी ने अपने दूरदर्शी नेतृत्व से स्वतंत्र भारत की मजबूत नींव रखी।

'रामसेतु को जल्दी ही राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया जाए'

डॉ. सुब्रमण्यम स्वामी ने सुप्रीम कोर्ट से इस मामले में केन्द्र सरकार को निर्देश देने का आग्रह किया

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 27 मई। राज्य सभा के पूर्व सदस्य एवं भाजपा नेता डॉ. सुब्रमण्यम स्वामी ने सर्वोच्च न्यायालय में एक याचिका दायर कर केन्द्र सरकार को यह निर्देश देने की माँग की है कि रामसेतु को राष्ट्रीय महत्व का प्राचीन स्मारक घोषित करने तथा उसे राष्ट्रीय स्मारक का दर्जा देने की मांग संबंधी उनके पत्र पर शीघ्र विचार किया जाए।

अपनी इस ताजातरीन याचिका में डॉ. स्वामी ने निवेदन किया है कि जनवरी 2023 में सर्वोच्च न्यायालय ने उन्हें (डॉ. स्वामी) को निर्देश दिये थे कि सम्बंधित प्रार्थना पत्र समुचित अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जाये। ऐसे निर्देशों के बावजूद, केन्द्र सरकार को भेजे गये उनके प्रार्थना पत्र पर अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है।

स्वामी ने कहा है कि रामसेतु, जिसे "एडम'स ब्रिज" के नाम से भी जाना जाता है, "एनशिएंट मॉन्यूमेन्ट्स एण्ड आर्किओलॉजिकल साइट्स एण्ड रिमेन्स एक्ट, 1958 की, तथा खासतौर से उसकी धारा 3 एवं 4 की सभी आवश्यक शर्तें पूरी करता है। यह अधिनियम ऐतिहासिक, कलात्मक या पुरातात्विक महत्व की प्राचीन संरचनाओं को राष्ट्रीय महत्व के स्मारक घोषित करने के लिये सरकार को अधिकार देता है।

- **स्वामी ने जनवरी 2023 में सुप्रीम कोर्ट में इस बारे में याचिका दायर की थी, तब उन्हें कोर्ट ने सरकार से आग्रह करने का निर्देश दिया था। इसके बाद स्वामी ने सरकार को पत्र लिखा, पर जब उस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई तो उन्होंने फिर से सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।**

स्वामी अपनी याचिका में कहते हैं, "यह पुरातात्विक संरचना उन लोगों के लिये आस्था एवं श्रद्धा का विषय है, जो रामसेतु को एक तीर्थ स्थान मानते हैं।"

उन्होंने आगे कहा कि केन्द्र सरकार की यह जिम्मेदारी है कि वह इस स्थल को प्रदूषण, अपवित्रता या दुरुपयोग से बचाए और संरक्षित करे।

डॉ. स्वामी ने भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (जीएसआई) और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) को निर्देश देने की भी मांग की है कि वे इस संरचना की प्राचीनता और महत्ता की पुष्टि के लिए एक व्यापक सर्वेक्षण और वैज्ञानिक अध्ययन कराएं।

केन्द्र सरकार ने इससे पहले सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया था कि राम सेतु को राष्ट्रीय धरोहर स्मारक घोषित करने की प्रक्रिया "संस्कृति मंत्रालय में प्रगति पर है।" यह जवाब स्वामी की इसी प्रकार की मदद चाहने वाली पिछली याचिका के जवाब में दिया गया था, जिस पर शीर्ष अदालत ने उन्हें औपचारिक अभ्यावेदन देने की सलाह दी थी।

वर्तमान याचिका में स्वामी ने केन्द्र सरकार की निष्क्रियता पर निराशा व्यक्त की है और कहा है कि यह मुद्दा पिछले आठ वर्षों से लंबित है, और 2017 में केन्द्रीय मंत्री द्वारा प्रारंभिक बैठकें किए जाने के बावजूद, इस मामले में कोई ठोस प्रगति नहीं हुई है।

स्वामी ने यह भी कहा कि उन्होंने पहले चरण की कानूनी लड़ाई जीत ली थी, जिसमें केन्द्र सरकार ने राम सेतु के अस्तित्व को औपचारिक रुप से स्वीकार किया था। लेकिन इस स्वीकारोक्ति के बावजूद, अब तक इसे राष्ट्रीय स्मारक का दर्जा देने की दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है।

राम सेतु चूना पत्थर की एक श्रृंखला है, जो तमिलनाडु के दक्षिण - पूर्वी तट पर स्थित पंबन द्वीप (रामेश्वरम) को श्रीलंका के उत्तर पश्चिमी तट पर स्थित मन्नार द्वीप से जोड़ता है। यह संरचना धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है, विशेषकर हिंदू समुदाय के लिए, जो मानते हैं कि इसका निर्माण भगवान राम की वानर सेना द्वारा किया गया था, जैसा कि रामायण में वर्णित है।

1995 के वक्फ एक्ट को चुनौती, सुप्रीम कोर्ट ने केन्द्र व राज्य सरकारों को नोटिस दिया

हालांकि, सीजेआई गवई की बैंच ने पूछा कि इतने सालों बाद इस एक्ट को चुनौती क्यों दी जा रही है

नयी दिल्ली, 27 मई। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को वक्फ अधिनियम, 1995 को चुनौती देने वाली याचिका पर केंद्र और राज्य सरकारोंको नोटिस जारी किया है। भारत के मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई और न्यायमूर्ति एजी मसीह की पीठ ने दिल्ली के रहने वाले निखिल उपाध्याय की याचिका पर नोटिस जारी किया है। इसे वकील हरि शंकर जैन और एक अन्य व्यक्ति की समान याचिका के साथ संलग्न किया गया।

वक्फ अधिनियम में हाल ही में किए गए संशोधनों को चुनौती देने वाली रिट याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए भारत के मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई और न्यायमूर्ति मसीह की पीठ ने पहले पूछा था कि 1995 के अधिनियम को इतने सालों के बाद अब चुनौती क्यों दी जा रही है। याचिकाकर्ता हरि शंकर जैन की ओर से उपस्थित वकील विष्णु शंकर जैन ने यह समझाने का प्रयास किया कि याचिकाकर्ताओं ने 1995 के अधिनियम को बहुत पहले ही सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दी थी। उन्हें हाई कोर्ट जाने के लिए कहा गया था, परन्तु पीठ इससे सहमत नहीं हुई।

- **याचिकाकर्ता के वकील ने बताया कि इस एक्ट को बहुत पहले ही सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दी थी, पर, तब उन्हें हाई कोर्ट जाने के लिए कहा गया था। सुप्रीम कोर्ट इस दलील से सहमत नज़र नहीं आया।**

मंगलवार को भी सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने वकील अश्विनी उपाध्याय से पूछा कि उन्हें 1995 के अधिनियम को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर अब क्यों विचार करना चाहिए। इस पर वकील उपाध्याय ने बताया कि पूर्व सीजेआई संजीव खन्ना, जस्टिस संजय कुमार और के वी विश्वनाथन की पीठ ने पूर्व सीजेआई खन्ना के सेवानिवृत्त होने के बाद सीजेआई गवई की अगुवाई वाली पीठ के कार्यभार संभालने से पहले वक्फ (संशोधन) 2025 मामलों की सुनवाई की थी। पहले ही 1995 के अधिनियम को चुनौती देने वाले मामलों की अलग से सुनवाई करने पर सहमत हो गई थी और 2025 के संशोधनों को चुनौती देने वालों को इस पर अपना जवाब दाखिल करने की अनुमति दी थी।

केंद्र की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने मंगलवार को कहा कि कोर्ट ने 2025 के संशोधन को चुनौती देने वाली याचिकाओं के साथ 1995 के अधिनियम को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई की अनुमति नहीं दी है। हालांकि, भाटी ने कहा कि अगर उपाध्याय की याचिका को जैन द्वारा 1995 के अधिनियम को चुनौती देने वाली दूसरी याचिका के साथ जोड़ दिया जाता है तो कोई आपत्ति नहीं है।

'आतंकवाद पाकिस्तान की युद्ध नीति है उसका जवाब युद्ध से ही दिया जाएगा'

गांधीनगर, 27 मई। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने मंगलवार को कहा कि पाकिस्तान भारत के खिलाफ आतंकवाद के जरिए कोई परोक्ष युद्ध (प्रॉक्सी वार) नहीं कर रहा है, बल्कि यह उसकी युद्ध की सोची-समझी रणनीति है और इसका जवाब युद्ध की ही तरह दिया जाएगा।

मोदी ने भारत के खिलाफ सीमापार से प्रायोजित आतंकवाद की तुलना चुभते कांटे से करते हुए कहा, शरीर कितना ही स्वस्थ क्यों न हो, लेकिन अगर एक कांटा चुभता है, तो पूरा शरीर परेशान रहता है। अब हमने तय कर लिया है, उस कांटे को निकाल के रहेंगे।

- **प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने गुजरात के गांधी नगर में पाकिस्तान को सीधी चेतावनी दी।**

उन्होंने गांधीनगर में एक कार्यक्रम में कहा कि भारत पड़ोसियों के साथ सुख-शांति से रहना चाहता है, लेकिन अगर हमारे सामर्थ्य को ललकारा जायेगा, तो उसका पूरे साहस से जवाब दिया जाएगा।

'तेज प्रताप के निष्कासन ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

महत्वपूर्ण बात यह है कि तेज प्रताप की पूर्व पत्नी ऐश्वर्या राय ने एक प्रेस कांफ्रेंस में आरोप लगाया कि यह "निष्कासन नाटक" चुनावों को ध्यान में रखते हुए लालू प्रसाद और उनके परिवार द्वारा रचा गया है। उन्होंने यह भी दोहराया कि शादी के दौरान उन्हें मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया गया था।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 29 मई को पटना में जयप्रकाश नारायण अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन कर अपनी यात्रा शुरू करेंगे। उनके लिए राजद परिवार में मचे घमासान को "वंशवादी राजनीति" पर हमला बोलने के लिए एक अनुकूल अवसर के रूप में देखा जा रहा है। इसी दिन प्रधानमंत्री पटना एयरपोर्ट से लेकर बीजेपी के प्रदेश मुख्यालय (बीर चंद पटेल पथ) तक रोड शो भी करेंगे। अगले दिन वे रोहतास जिले के बिक्रमगंज में एक जनसभा को संबोधित करेंगे, जहाँ वे करोड़ों रुपये की विकास परियोजनाओं की घोषणा करेंगे, जिनमें रेलवे परियोजनाएँ भी शामिल हैं।

- **दूसरी ओर मोदी चुनाव अभियान का डंका बजाने के लिए 29 मई को पटना जा रहे हैं, जहाँ वे जे.पी. इंटरनैशनल एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का उद्घाटन करेंगे तथा उसके बाद पटना एयरपोर्ट से भाजपा मुख्यालय तक रोड शो में भाग लेंगे तथा अगले दिन रोहतास जिले के विक्रमगंज में आयोजित एक रैली में भाग लेंगे।**

जबकि लालू प्रसाद और उनके परिवार के सदस्य भ्रष्टाचार के मामलों में जांच के घेरे में हैं, ऐसे में तेज प्रताप से जुड़ा यह विवाद पार्टी के लिए और मुश्किलें खड़ी कर सकता है। दूसरी ओर, भाजपा ने इस बार विधानसभा की कुल 243 सीटों में से 225 सीटें जीतने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य तय किया है।

कोलाबा जैटी परियोजना पर रोक से सुप्रीम कोर्ट का इनकार

नयी दिल्ली, 27 मई। उच्चतम न्यायालय ने मुंबई के कोलाबा इलाके में गेटवे ऑफ इंडिया के पास यात्री जेटी परियोजना पर निर्माण कार्य जारी रखने की अनुमति देने वाले बॉम्बे उच्च न्यायालय के फैसले में हस्तक्षेप करने से मंगलवार को इनकार कर दिया। मुख्य न्यायाधीश बी आर गवई की अध्यक्षता वाली पीठ ने स्थानीय निवासियों की ओर से दायर विशेष अनुमति याचिका पर सुनवाई करते हुए बुनियादी ढांचे के विकास के विरोध पर सवाल उठाया।

पीठ ने टिप्पणी की ? हर कोई सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट चाहता है, लेकिन अपने घर के पीछे नहीं।

हरीश चौधरी ने गहलोत की भारी ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

हरीश चौधरी ने यह भी कहा कि समूचे जोधपुर डिवीजन में ऐसे लोगों की वजह से पार्टी दयनीय स्थिति में पहुंच गई है। आप उनके साथ बैठ सकते हैं, मैं नहीं।"

मेवाराम जैन, जिन्हें सीडी कांड सामने आने के बाद निलंबित किया गया था, और अमीन खान, जिन्होंने गहलोत के इशारे पर कांग्रेस के अधिकृत उम्मीदवार के खिलाफ निर्दलीय चुनाव लड़ा था, दोनों गहलोत के वफादार माने जाते हैं और दोनों को पार्टी से बाहर कर दिया गया था।

खबर है कि गहलोत ने उन्हें बाड़मेर बुलाया था, क्योंकि वहाँ जय हिंद रैली के लिए राजस्थान का पूरा शीर्ष नेतृत्व मौजूद था।

गहलोत ने सुरजेवाला से इनसे मिलने का आग्रह किया, लेकिन सुरजेवाला ने यह कहकर मना कर दिया कि उन्होंने इन्हें बुलाया ही नहीं है।

जब इन दोनों को कोई तवज्जो नहीं मिली, तो गुस्साए अमीन खान ने कहा, "यह कांग्रेस पार्टी का अंत है।"

पीसीसी अध्यक्ष डोटासरा ने नाराजगी जताते हुए कहा - "नेताओं के स्वागत करने का यह तरीका नहीं है। हमें पता है, आप क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस तरह का दबाव नहीं चलेगा।"

हेमाराम चौधरी ने कहा - "कांग्रेस जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी के बाद भी बची रही और ऐसे नेताओं के जाने के बाद भी बची रहेगी।" उन्होंने इन दोनों नेताओं (और जाहिर है कि गहलोत के लिए भी) के लिए तीखी भाषा का प्रयोग किया।

वरिष्ठ नेताओं के बीच यह टकराव साफ दिखाता है कि सत्ता से बाहर होने के बाद गहलोत की पार्टी में पकड़ तेजी से कमज़ोर हो रही है।

उनकी राजनीति अब सबके सामने आ गई है, जो पार्टी को नुकसान पहुंचा कर खुद को बनाए रखने की कोशिश करती है।

राजस्थान कांग्रेस में परिवर्तन की बयार चल रही है, और आने वाले दिन अशोक गहलोत के लिए कठिन साबित हो सकते हैं।

गंभीर राजनीतिक परिवर्तन की ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

अगर यह नियुक्ति होती है तो इसके गंभीर परिणाम होंगे, क्योंकि अगला राज्य विधानसभा चुनाव दूर नहीं है और एक सख्त न्यायाधीश के राज्यपाल बनने से तृणमूल कांग्रेस के उस खेल को प्रभावित किया जा सकता है, जो वह सत्ता में बने रहने के लिये खेलती आ रही है।

राज्य की मुख्यमंत्री लंबे समय से भारी दबाव में हैं, कई वरिष्ठ मंत्री वित्तीय अनियमितताओं के कारण जेल में हैं। पार्थ चटर्जी, जो ममता बनर्जी के करीबी सहयोगी थे, कई वर्षों से जेल में हैं। उनके एक और सहयोगी, माँडल, जेल में है तथा उनकी अकड़ अब खत्म हो गई है। कई अन्य नेता भी जेल में हैं

सबसे बुरी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने राज्य में हजारों स्कूल शिक्षकों की नियुक्ति रद्द कर दी है, जिससे राज्य प्रशासन की साख खत्म हो गई है। कोर्ट की कार्यवाही और सीबीआई की जांच में तृणमूल कांग्रेस नेताओं और नियुक्तियों में घूसखोरी का तथा सत्ता के दुरुपयोग का खुलासा हुआ है।

स्कूल शिक्षकों की नियुक्तियां अदालत के आदेशों के तहत रद्द हो चुकी हैं और तभी से ये शिक्षक लगातार सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। इस बीच, राज्य पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे शिक्षकों पर लाठी चार्ज किया, जिसे सम्पूर्ण जनता ने घोर निंदनीय बताया।

- **अतः, इस महिला गवर्नर से ममता बनर्जी का युद्ध पहले ही दिन से शुरु हो जायेगा और यह ममता जी के लिए एक दुखदायी अध्याय की शुरुआत होगी।**

एक अन्य गंभीर मामला एक सरकारी अस्पताल में एक जूनियर डॉक्टर की हत्या का है, जिसमें राज्य प्रशासन, राज्य पुलिस और स्वास्थ्य विभाग, जो दोनों विभाग ममता बनर्जी के अधीन है, क्योंकि वे स्वयं राज्य की गृह और स्वास्थ्य मंत्री हैं, की भूमिका पर सवाल उठे हैं। ऐसे में, छवि निर्माण और राजनीतिक मधुर भाषा के प्रयोग के प्रयासों के बावजूद, ममता बनर्जी की छवि धूमिल हुई है और उनकी स्थिति में कोई और होता तो लंबे समय पहले हार मान चुका होता। केवल उनकी दृढ़ता और राजनीतिक कुशलता के साथ ही, तृणमूल नेताओं द्वारा पैसे कमाने की व्यवस्था ने उन्हें जीवित रखा है। इसके अलावा, उन्होंने सावधानीपूर्वक और निरंतर राज्य के मुस्लिम वोटरों के साथ अपना संबंध बनाए रखा है, जिसे वे सत्ता में बने रहने के लिए महत्वपूर्ण मानती हैं।

लेकिन, एक साहसी महिला प्रतिद्वंद्वी उनके सामने अगले चुनाव से पहले चुनौती बन सकती है। फिलहाल इस बारे में गुपचुप चर्चा हो रही है।

जस्टिस संजीव ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

जज पद पर जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा की वकील कोटे से 16 नवंबर 2016 को नियुक्ति हुई थी।

इस दौरान एक जनवरी 2022 को उनका ट्रांसफर पटना हाईकोर्ट कर दिया गया था।

वहीं, झारखंड हाईकोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस रहे श्रीचन्द्रशेखर का ट्रांसफर राजस्थान हाईकोर्ट में 5 जुलाई 2024 को हुआ था। इसके अलावा, जस्टिस अरुण कुमार मोंगा का ट्रांसफर भी राजस्थान हाईकोर्ट में एक नवंबर 2023 को हुआ था।

'आतंकवाद ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

और मजबूत करने के प्रयास जारी रखेंगे।

प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में विशेष रूप से संयुक्त राष्ट्र और एफएटीएफ जैसे बहुपक्षीय मंचों पर सिंगापुर के समर्थन का अनुरोध किया। करीबी दोस्तों और भागीदारों के रूप में भारत और सिंगापुर आतंकवाद के मुद्दे सहित क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर मिलकर काम करना जारी रखेंगे।

श्री नरेन्द्र मोदी
माननीय प्रधानमंत्री

राजस्थान सरकार

2025
International Year of Cooperatives
Cooperatives Build a Better World

श्री भजनलाल शर्मा
माननीय मुख्यमंत्री

एकमुश्त समझौता योजना 2025-26

प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंकों के किसानों को सरकार ने दी राहत

अवधिपार ऋण चुकाएं, ब्याज पूरा माफ़ कराएं

- **36 प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंकों** के 30 हजार से अधिक पात्र ऋणी किसान एवं लघु उद्यमी होंगे लाभान्वित
- 01 जुलाई, 2024 को **अवधिपार मूल ऋण चुकाने पर मिलेगा लाभ**
- **25 प्रतिशत मूल ऋण की राशि** 30 जून, 2025 तक अवश्य जमा करानी होगी
- शेष राशि **30 सितम्बर, 2025** तक जमा करानी होगी
- मूल ऋण जमा कराने पर **ब्याज में मिलेगी 100 प्रतिशत छूट**
- **दण्डनीय ब्याज एवं वसूली खर्च** 100 प्रतिशत माफ़
- योजना पर **200 करोड़ रुपए** का व्यय प्रस्तावित
- **राज्य सरकार वहन करेगी** समस्त ब्याज राशि एवं वसूली खर्च
- **मृतक ऋणी किसानों** के वारिसान भी ले सकेंगे योजना का लाभ
- पूर्व में नीलामी के दौरान बोलीदाता के अभाव में बैंक द्वारा क्रय की गई **भूमि को किसानों को लौटाए जाने का प्रावधान**

योजना की अधिक जानकारी एवं मार्गदर्शन के लिए
भूमि विकास बैंकों के कार्यालयों /शाखाओं में संपर्क करें

राजस्थान संवाद

सहकारिता विभाग, राजस्थान

राष्ट्रदूत हिन्दु संयुक्त परिवार की ओर से सोमेश शर्मा द्वारा ज्वाईन्ट मीडिया, आजाद मार्ग, मैन रोड, आयड, उदयपुर से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक-राजेश शर्मा, आर.एन.आई. नं. 57928/93 जयपुर कार्यालय: सुधर्मा एम.आई.रोड, जयपुर। फोन: 2372634, 4103333-34, फैक्स : 0141-2373513 कोटा कार्यालय : पलायथा हाऊस, छत्रपति शिवाजी मार्ग, कोटा। फोन: 2386031, 2386032,फैक्स:0744-2386033 बीकानेर कार्यालय : कुम्भाना हाऊस, हनुमान हत्था, बीकानेर। फोन: 2200660, फैक्स 0151-2527371 अजमेर कार्यालय: राष्ट्रदूत भवन, चुंगी नाका के पास, अजमेर। फोन: 2627612, फैक्स:0145-2624665 जालोर कार्यालय :- जी 1/63, इन्डस्ट्रीयल एरिया, फेस प्रथम, जालोर। फोन 226422,226423, फैक्स: 02973-226424 हिण्डौनसिटी कार्यालय :- जी -1-201, रीको औद्योगिक क्षेत्र, हिण्डौनसिटी। फोन: 230200, 230400, फैक्स: 07469-230600 चूरू कार्यालय : एच-150, रीको औद्योगिक क्षेत्र, चूरू, फोन : 256906, 256907, फैक्स: 01562-256908